चुनाव अति आवश्यक

कार्यालय जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) उदयपुर

क्रमांक :– एफ 37(2)लेखा/बोली आमंत्रण/निर्वाचन/2018/1337 दिनांक : 13.11.2018

–:: खुली बोली आमंत्रण सूचना संख्या 05/2018–19::–

विधानसभा आम चुनाव 2018 के दौरान मतदान दलों के प्रशिक्षण हेतु अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था के लिये प्रतिष्ठित एवं संस्थापित फर्मो से मुहरबन्द बोली आमंत्रित की जाती है।

क्र. स.	व्यवस्था/सामग्री विवरण	अनुमानित लागत (लाखों में)	बोली प्रतिभूति राशि (रुपयों में)	बोली प्रपत्र शुल्क (रुपयों में)	बोली प्रपत्र बेचने की अंतिम तिथि व समय	बोली प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिव समय	बोली खोलने की तिथि व समय
1	मतदान दलों के प्रशिक्षण में अल्पाहार एवं भोजन व्यवस्था	7.00	14000	200	19.11.2018 05:00 PM	20.11.2018 02:00 PM	20.11.2018 3:00 PM

बोली प्रपत्र एवं शर्ते निर्धारित शुल्क नकद/डी. डी./बैकर्स चेक जो जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) उदयपुर के नाम से जारी हो, जमा करवाकर जिला निर्वाचन कार्यालय से कार्यालय समय मे दिनांक 13.11.2018 से प्राप्त की जा सकती है या राज्य लोक उपापन पोर्टल http://sppp.rajasthan.gov.in अथवा वेबसाईट http://udaipur.rajasthan.gov.in से भी डाउनलोड किये जा सकते है। डाउनलोड किए गए बिड प्रपत्र का निर्धारित शुल्क रू. 200/– का ड्राफ्ट बिड दाता द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर), उदयपुर के नाम से बिड के लिफाफे में संलग्न करना होगा। **बिड निर्धारित प्रपत्र में ही स्वीकार की जावेगी।** बिड प्रपत्र का शुल्क किसी भी स्थिति में नहीं लौटाया जाएगा। बोली के साथ बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा बोली पर कोई विचार नहीं किया जायेगा, प्राप्त बोली निर्धारित कमेटी द्वारा उपस्थित बोलीदाताओं अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

बोली स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।

बिड की शर्तेः–

1. सफल बोलीदाता को निर्दिष्ट अवधि में 500/–रू. के नोन ज्युडिशियिल स्टाम्प पर करार पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगें।
2. बिड के साथ में बोली प्रतिभूति राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट, जीएसटीआईएन पंजीयन प्रमाण पत्र, अंतिम दाखिल जीएसटी रिटर्न की प्रति तथा आयकर विभाग द्वारा जारी पेन नम्बर की बिडदाता द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करनी होगी।
3. निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त बिड स्वीकार नहीं की जावेगी।
4. कमेटी न्यूनतम दर वाली बिड को स्वीकार किए जाने के लिए बाध्य नहीं है तथा वह किसी भी बिड को या उसके किसी भी भाग को बिना कोई कारण बताए रद्द कर सकेगी।
5. उपरोक्त सामग्री की मात्रा अनुमानित हैं जिसमें कमी अथवा बढोतरी की जा सकती हैं। कमेटी उक्त अंकित किसी भी सामग्री की न्यूनतम मात्रा अथवा कोई सामग्री कय करने के लिये बाध्य नहीं हैं।
6. उपरोक्त शर्तो के अतिरिक्त जहाँ आवश्यक हो सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम एवं प्रारूप एसआर 14, 15, 16 व 17 तथा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम–2012 व नियम–2013 के प्रावधान व समय समय पर किए गए संशोधन भी उक्त बिड पर लागू होंगें।
7. बोली में प्राप्त अनुमोदित दरें एक वर्ष के लिये लागु रहेगी व आवश्यक होने पर आपसी सहमती से छः माह तक बढायी जा सकेगी।

कृते जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) उदयपुर

प्रतिलिपि :–

1- श्रीमान् मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज. जयपुर।
2- समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजस्थान।
3- सदस्य कय समिति .... ।
4- नोडल अधिकारी लोक उपापन उदयपुर (उपनिदेशक जिला ई–गर्वनेन्स प्रकोष्ठ, उदयपुर) को दो प्रतियों में भेज कर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही http://udaipur.rajasthan.gov.in वेबसाईट पर अपलोड करने की कार्यवाही करें तथा अपलोड की कार्यवाही अंकित कर एक प्रति पुनः इस कार्यालय को भिजवाऐं।
5- समस्त उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार कार्यालय नोटिस बोर्ड।
6- नोटिस बोर्ड कार्यालय हाजा।

कृते जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) उदयपुर